सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 27.03.2022

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के त्वरित कार्यवाही से गुमशुदा बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को किया सुपुर्द, बच्चे को पाकर परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, परिजनों ने पुलिस अधीक्षक गोण्डा को बुके भेटकर दिया धन्यवादः-

दिनांक 16.03.2022 को थाना को0देहात क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम माधवपुर निवासी कृष्ण देव त्रिपाठी द्वारा थाना को0देहात में सूचना दी गयी की उनका 17 वर्षीय लड़का जो दिनाकं 15.03.2023 को घर से दोपहर में साईकिल से निकला था जो घर नही लौटा। उक्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा के नेतृत्व में थाना को0देहात/साइबर सेल की सयुक्त टीम को बालक की सकुशल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात व साइबर सेल की सयुक्त टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर काफी खोजबीन की गयी तो उक्त गुमशुदा बालक का राजस्थान में होना पाया गया। जिस पर साइबर सेल टीम द्वारा राजस्थान पुलिस से समन्वय स्थापित कर उक्त बालक को सकुशल बरामद कराया गया। साइबर सेल टीम व को0देहात पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक की सूचना के महज 48 घण्टे के अन्दर गैर प्रान्त(राजस्थान के जयपुर जिला) से सकुशल बरामद कर नियमानुसार परिजनों को सुपुर्द किया गया। बच्चे को सकुशल पाकर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। आज दिनाकं 27.03.2023 को बालक के परिजनो द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर को बुके भेटकर हृदय से धन्यवाद दिया गया। उक्त सराहनीय कार्य की आम जनमानस द्वारा काफी सराहना की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0स0 126/2023, धारा 363 भादवि थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदकर्ता टीम

01. प्रभारी साइबर सेल संतोष कुमार सिंह मय टीम
02. उ0नि0 विजय बहादुर यादव मय टीम थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 27.03.2022</u>

<u>थाना धानेपुर पुलिस ने 15 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देशन के क्रम थाना धानेपुर पुलिस ने भिन्न- भिन्न अभियोग के 15 नफर वारंटी अभियुक्तों को भिन्न- भिन्न जगहो से गिरफ्तार किया गया। जिसमें 02 नफर वारंटी अभियुक्तों ने मा0न्यायालय द्वारा जारी रिकाल प्रस्तुत किया जिन्हे छोड़ा गया। शेष अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण</u>

01. हनोमान प्रसाद पुत्र जमुना प्रसाद निवासी मुर्तिहवा मौजा महेशभारी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
02. अकबाल पुत्र पुत्र जमुना प्रसाद निवासी मुर्तिहवा मौजा महेशभारी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
03. नवल किशोर पुत्र जमुना प्रसाद निवासी मुर्तिहवा मौजा महेशभारी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
04. राजितराम वर्मा पुत्र रामबरन निवासी गंगापुरवा मौजा त्रिलोकपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
05. लिल्लाहे उर्फ गया प्रसाद पुत्र ननकू निवासी दत्तनगर माफी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
06. पंचम पुत्र भुलई निवासी छोटकी नौवडिहवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
07. रामकेवल पुत्र बाबूलाल निवासी उत्तरी शुकुलपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
08. केशरी पुत्र रामरंग निवासी उत्तरी शुकुलपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
09. नकछेद कोरी पुत्र रामशंकर कोरी निवासी लखनीपुर थाना धानेपुर जनपाद गोण्डा।
10. तुलसीराम कोरी पुत्र रामशंकर कोरी निवासी लखनीपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
11. किराईलाल पुत्र रामनाथ निवासी झगरूपुरवा मौजा बछईपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
12. विपत राम पुत्र गरीबे निवासी जानकीनगर मौजा विशुनपुर माफी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
13. सिकन्दर पुत्र मो0 युसूफ निवासी रेतवागाड़ा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम</u>

थानाध्यक्ष ब्रम्हानन्द सिंह मय टीम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कौडिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामनाथ उर्फ कप्तान पुत्र रामसुरत निवासी ग्राम मण्डे सरैयामाफी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 101/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।